04/6/26

पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उप. तह.
उपरोक्त प्रा.पत्र: प्रार्थीगण व [illegible] प्रा.पत्र
अप्रार्थी नं. 4 आंशिक सहमत किया जा सकता
है। विस्तृत रिपोर्ट शामिल किया जाकर तहसीलदार
को पत्र जारी हो। नकल दे कर हो।

रिपोर्ट [illegible] जावे।

B

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/295

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

पूर्व प्रकरण सं. 50/2019 दायर दिनांक : 24.06.2019

रिमाण्ड प्रकरण सं. : 216/21.09.2023 GCMS:- 2023/295

1. राजाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. हंसराज पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगतुराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. गुड्डीदेवी पत्नी भैराराम जाति जाट निवासी 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू—धारक
4. सुनील गोदारा पुत्र मंगतुराम जाति जाट निवासी 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 4
3. श्री कमल दत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2
4. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 05.06.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने दिनांक 24.06.2019 को एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 विरुद्ध प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 1 से 10, 12 से 19 = 4.554 है0 कमाण्ड भूमि में आने-जाने हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 59/20 (84) के किला नं. 21/2 = 0.228 है0, पत्थर नं. 59/12 (85) के किला नं. 16, 21 से 25 = 1.393 है0, पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22 से 25 = 0.912 है0, पत्थर नं. 59/5 (103) के किला नं. 2 से 9 = 2.024 है0, पत्थर नं. 59/13 (104) के किला नं. 1 से 20 = 5.060 है0 व पत्थर नं. 59/21 (105) के किला नं. 1, 9 से 12, 20 = 1.518 है0, कुल 11.135 है0 में से पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 25 में पूर्व दिशा में 2 बिस्वा चौड़ाई व 1 बीघा लम्बाई में दक्षिण से उत्तर की ओर, प्रार्थीगण की पत्थर नं. 59/4 के किला नं. 16 में प्रवेश करने हेतु रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 को सहकाश्तकार होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण सं. 50 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1-2 के विरुद्ध दिनांक 30.07.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बाद सुनवाई दिनांक 06.08.2020 को प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 59/4 के किला नं. 25/1 की 0.228 है0 कमाण्ड भूमि के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर दो बिस्वा (16.05 फुट चौड़ाई व 165 फुट लम्बाई) कुल 0.025 है0 रास्ता स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने व रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से चक 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 59/4 के किला नं. 17 में दक्षिण दिशा में (पश्चिम से पूर्व लम्बाई में) अप्रार्थी के चिपते हुए, अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी मंगतुराम के द्वारा उक्त निर्णय से रूष्ट होकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.08.2020 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

श्रीगंगानगर के समक्ष अपील सं. 91/2021 पेश किये जाने पर माननीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 18.11.2022 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.08.2020 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

अभिभाषक प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली अभिलेखागार, सूरतगढ़ से प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के नाम वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 78/58 के पत्थर नं. 59/13 (104) के किला नं. 1, 10, 11, 20 = 1.012 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि ही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, शेष भूमि हस्तान्तरित की जा चुकी है। चक 1 जी.डी.एस.एम. के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1, 23/2, 24/2, 25/1 = 0.912 है0 व पत्थर नं. 59/12 (85) के किला नं. 21/1, 22/1, 23/2, 24/1 = 0.912 है0, कुल 1.824 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि सुनील गोदारा खातेदार के नाम अंकित है, जिसकी प्रार्थीगण को जानकारी है। प्रार्थीगण अपनी पत्थर नं. 59/4 (86) में 4.554 है0 भूमि में इसी पत्थर नम्बर के किला नं. 11, 20, 21 के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में होकर आते जाते रहे हैं। पत्थर नं. 59/4 के किला नं. 25 की भूमि अप्रार्थी के नाम से वर्तमान में नहीं होने के कारण प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाने के नियमानुसार अधिकारी नहीं हैं। जब सहकाश्तकार को अपने खेत में आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता है तो प्रार्थीगण अन्य रास्ता मंजूर नहीं करवा सकते। यदि रास्ता नहीं होता तो अप्रार्थी सं. 2 द्वारा भी रास्ता की मांग अवश्य की जाती। अपने अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई। अप्रार्थी की उपस्थिति में मौका निरीक्षण नहीं किया गया। पटवारी हल्का को मौका नक्शा की रिपोर्ट

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तैयार करने का विधिक रूप से अधिकार नहीं है, इसलिए बाद सुनवाई प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब अप्रार्थी सं. 2 बन्द किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि में से चक 1 जी.डी.एस.एम. के पत्थर नं. 59/4 के किला नं. 25 में रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 06.08.2020 को स्वीकार किया गया था। उस समय जमाबन्दी अंकन अनुसार चाहे गये अनुतोष की भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से अंकित थी, जिसकी अपील भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा की गई जो वर्ष 2022 में रिमाण्ड हुई। अब अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.04.2025 में चाहे गये अनुतोष का रकबा सुनील गोदारा पुत्र मंगतुराम के नाम से दर्ज होना बताया गया है। प्रार्थी ने जमाबन्दी की प्रति निकलवा कर अवलोकन किया जिसमें चक 1 जी.डी.एस.एम. के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1, 23/2, 24/2, 25/1 = 0.912 है0 कमाण्ड भूमि जरिये उपहार इन्तकाल सं. 632 दिनांक 03.01.2025 को सुनील गोदारा पुत्र मंगतुराम के नाम से दर्ज हो चुकी है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) में सुनील गोदारा पुत्र मंगतुराम जाति जाट निवासी 1 जी.डी.एस.एम. को पक्षकार स्थापित किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने एतराज किया। बहस श्रवण के पश्चात् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार कर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान कर स्थापित पक्षकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से सुनील गोदारा पुत्र मंगतुराम को अप्रार्थी सं. 4 पर अंकित करते हुए संशोधित शीर्षक पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 4 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में चक 1 जी.डी.एस.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 194/78 के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1, 23/2, 24/2, 25/1 = 0.912 है0 व पत्थर नं. 59/12

क्रमशः ..... पेज 5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(85) के किला नं. 21/1, 22/1, 23/2, 24/1 = 0.912 है0, कुल 1.824 है0 कमाण्ड भूमि अप्रार्थी सं. 4 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चक 1 जी.डी.एस.एम. की सड़क से 6 जी. डी.एस.एम. से रास्ता चला आ रहा है और चक 1 जी.डी.एस.एम. के पत्थर नं. 59/36, 59/44 तक आना स्वीकार है। इस चक के पत्थर नं. 59/12 व 59/4 से होकर आगे पातलिया डेर मंजूरशुदा रास्ता होना स्वीकार है। इस पत्थर में स्वीकृतशुदा रास्ता के पत्थर नं. 59/20 के किला नं. 22 में व 19 के पश्चिमी पासा में होकर दक्षिण से उत्तर की सींव पर से व किला नं. 11 के दक्षिणी पासा में आगे पत्थर नं. 59/12 के किला नं. 15, 14, 13, 12 व 11 के दक्षिणी पासा में सींव पर होते हुए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में मौका पर आ जा रहे हैं। यह वैकल्पिक रास्ता मौका पर आज भी चालू है। फिर भी यदि रास्ता मंजूर करना चाहें तो अप्रार्थी के पत्थर नं. 59/4 के किला नं. 22/1 की 0.228 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 0.012 है0 (इस किले के पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर दिशा में) कमाण्ड भूमि के बदले कमाण्ड भूमि देते हुए नियमानुसार मंजूर किये जाने का निवेदन किया ताकि अप्रार्थी की भूमि के टुकड़े ना हों। साथ ही अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नियमानुसार अन्य रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किये के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र 251 (क) व आदेश 01 नियम 10 में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि उपकरण लाने–ले जाने व फसल ले जाने के लिए कम से कम 2 बिस्वा चौड़े रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है। चाहे गये अनुतोष की भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 4 के नाम दर्ज हो चुकी है और अप्रार्थी सं. 4 ने अपने नाम अंकित भूमि में से पत्थर नं. 59/4 के किला नं. 22/1 की 0.228 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में

क्रमशः ..... पेज 6 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर दिशा में रास्ता स्वीकृत करने व रास्ता की भूमि के बदले कमाण्ड भूमि देने में अपनी स्वीकृति दी है, ताकि उसकी भूमि के टुकड़े न हों, इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 4 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 194/78 के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1, 23/2, 24/2, 25/1 = 0.912 है0 व पत्थर नं. 59/12 (85) के किला नं. 21/1, 22/1, 23/2, 24/1 = 0.912 है0, कुल 1.824 है0 कमाण्ड भूमि में से पत्थर नं. 59/4 के किला नं. 22/1 की 0.228 है0 में से 0.025 है0 पश्चिम दिशा में दो बिस्वा चौड़ा एक बीघा लम्बाई में दक्षिण से उत्तर दिशा में रास्ता स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की। रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण ने अपने नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 1 से 10, 12 से 19 = 4.554 है0 कमाण्ड भूमि में से किला नं. 19 की 0.253 है0 भूमि में से 0.025 है0 कमाण्ड भूमि बजानिब दक्षिण–पूर्व दिशा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में (अप्रार्थी सं. 4 के किला नं. 22/1 के चिपते व स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता से किला नं. 19 में प्रवेश हेतु भूमि को छोड़ते हुए) अप्रार्थी सं. 4 को दिये जाने में अपनी सहमति प्रदान की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी सं. 4 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 194/78 में अंकित कुल 1.824 है0 कमाण्ड भूमि में से पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1 की 0.228 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 0.012 है0 (इस किले के पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर दिशा में) रास्ता स्वीकृत करने में अपनी सहमति व्यक्त की एवं भूमि के बदले प्रार्थीगण के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी के चिपती कमाण्ड भूमि दिये जाने की प्रार्थना की।

राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

बहस श्रवण के पश्चात् बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किया। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि में पहुंच हेतु रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है। प्रार्थीगण के इस कथन से सहमत हूं कि उनको अपने नाम अंकित खातेदारी भूमि की पहुंच हेतु रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 4 के कथनानुसार चक 1 जी.डी.एस.एम. के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1 की 0.228 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से पश्चिम दिशा में रास्ता स्वीकृत करने में सहमत हैं और अप्रार्थी सं. 4 भी बदले में कमाण्ड भूमि लेने पर सहमत है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि उपकरण लाने–ले जाने व फसल ले जाने के लिए कम से कम 2 बिस्वा चौड़े रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है, जबकि अप्रार्थी सं. 4 ने एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की है। न्यायालय की यह मंशा है कि काश्तकार को अपने खेत के लिए उचित रास्ता भी प्राप्त हो और जिस काश्तकार की भूमि से रास्ता चाहा गया है, उसे किसी प्रकार कोई हानि भी न हो, इसलिए अप्रार्थी सं. 4 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से चक 1 जी. डी.एस.एम. के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1 की 0.228 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 0.025 है0 (इस किले के पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर दिशा में) रास्ता स्वीकृत किया जाना एवं रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से चक 1 जी.डी.एस.एम. के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 19 की 0.253 है0 भूमि में से 0.025 है0 कमाण्ड भूमि बजानिब दक्षिण–पूर्व दिशा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में (अप्रार्थी सं. 4 के किला नं. 22/1 के चिपते व स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता से किला नं. 19 में प्रवेश हेतु भूमि को छोड़ते हुए) अप्रार्थी सं. 4 को दिया जाना उचित समझता हूं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी सं. 4 आंशिक स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी सं. 4 सुनील गोदारा पुत्र मंगतूराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 जी.डी. एस.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 194/78 के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1, 23/2, 24/2, 25/1 = 0.912 है0 व

क्रमशः ..... पेज 8 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पत्थर नं. 59/12 (85) के किला नं. 21/1, 22/1, 23/2, 24/1 = 0.912 है0, कुल 1.824 है0 कमाण्ड भूमि में से पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1 की 0.228 है0 में से 0.025 है0 बजानिब पश्चिम दिशा (दो बिस्वा चौड़ा एक बीघा लम्बाई में दक्षिण से उत्तर दिशा में) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि अप्रार्थी सं. 4 सुनील गोदारा पुत्र मंगतूराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम से कलमजन कर वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगण राजाराम व हंसराज पुत्रगण कालूराम जाति जाट निवासीयान 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण राजाराम व हंसराज पुत्रगण कालूराम जाति जाट निवासीयान 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ खातेदार के नाम वर्तमान जमाबन्दी में अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 जी.डी. एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 1 से 10, 12 से 19 = 4.554 है0 कमाण्ड भूमि में से किला नं. 19 की 0.253 है0 भूमि में से 0.025 है0 कमाण्ड भूमि बजानिब दक्षिण–पूर्व दिशा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में (अप्रार्थी सं. 4 के किला नं. 22/1 के चिपते व स्वीकृतशुदा रास्ता से किला नं. 19 में प्रवेश हेतु भूमि को छोड़ते हुए), प्रार्थीगण राजाराम व हंसराज पुत्रगण कालूराम के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी सं. 4 सुनील गोदारा पुत्र मंगतूराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना में तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम से अलग से पत्र जारी कर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 05.06.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 216 /2023 / 05.06.26/3565 दिनांक : 05.06.2026

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

विषय : रिमाण्ड प्रकरण सं. 216/2023 (पूर्व प्रकरण सं. 50/2019) राजाराम वगैरह बनाम मंगतुराम व अन्य अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. निर्णय दिनांक 05.06.2026 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान का प्रार्थना-पत्र प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व जवाब प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी सं. 4 आंशिक स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी सं. 4 सुनील गोदारा पुत्र मंगतूराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 194/78 के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1, 23/2, 24/2, 25/1 = 0.912 है0 व पत्थर नं. 59/12 (85) के किला नं. 21/1, 22/1, 23/2, 24/1 = 0.912 है0, कुल 1.824 है0 कमाण्ड भूमि में से पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 22/1 की 0.228 है0 में से 0.025 है0 बजानिब पश्चिम दिशा (दो बिस्वा चौड़ा एक बीघा लम्बाई में दक्षिण से उत्तर दिशा में) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। निर्णय की पालना में उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि अप्रार्थी सं. 4 सुनील गोदारा पुत्र मंगतूराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम से कलमजन कर वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगण राजाराम व हंसराज पुत्रगण कालूराम जाति जाट निवासीयान 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण राजाराम व हंसराज पुत्रगण कालूराम जाति जाट निवासीयान 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ खातेदार के नाम वर्तमान जमाबन्दी में अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 59/4 (86) के किला नं. 1 से 10, 12 से 19 = 4.554 है0 कमाण्ड भूमि में से किला नं. 19 की 0.253 है0 भूमि में से 0.025 है0 कमाण्ड भूमि बजानिब दक्षिण-पूर्व दिशा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में (अप्रार्थी सं. 4 के किला नं. 22/1 के चिपते व स्वीकृतशुदा रास्ता से किला नं. 19 में प्रवेश हेतु भूमि को छोड़ते हुए), प्रार्थीगण राजाराम व हंसराज पुत्रगण कालूराम के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी सं. 4 सुनील गोदारा पुत्र मंगतूराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)